रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1386] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2010/आषाढ़ 18, 1932

No. 1386] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2010/ASADHA 18, 1932

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2010

### आय-कर

**का.आ. 1639(अ).**—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80गगच द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट बंधपत्रों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए दीर्घकालीन अवसंरचनात्मक बंधपत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :–

(क) **बंधपत्र का नाम**—बंधपत्र का नाम "दीर्घकालीन अवसंरचनात्मक बंधपत्र" होगा;

(ख) **बंधपत्र के जारीकर्ता**—बंधपत्र निम्नलिखित के द्वारा जारी होगा :–

(i) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम;

(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम;

(iii) इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड;

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई अवसंरचनात्मक वित्त कम्पनी के रूप में वर्गीकृत कोई गैर बैंककारी वित्त कम्पनी;

(ग) **निर्गम की सीमा**–

(i) बंधपत्र वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी हो सकेंगे;

(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम का परिमाण 2009-10 के दौरान जारीकर्ता द्वारा अवसंरचनात्मक विनिधान में की गई वृद्धि का पच्चीस प्रतिशत निर्बंधन होगा;

(iii) इस सीमा के प्रयोजन के लिए, 'विनिवेश' जिसके अंतर्गत उधार, बंधपत्र, ऋण का अन्य प्रकार अर्ध साम्या, अधिमानी साम्या और साम्या भी हैं;

(घ) **बंधपत्र की अवधि**—

(i) दस वर्ष की न्यूनतम अवधि होगी;

(ii) किसी विनिधानकर्ता के लिए रोध की न्यूनतम अवधि पांच वर्ष होगी;

(iii) रोध की अवधि के पश्चात्, विनिधानकर्ता या तो उसे द्वितीय बाजार के माध्यम से या पुन:खरीद सुविधा के माध्यम से, जो जारीकर्ता द्वारा जारी करते समय जारी दस्तावेज पर विनिर्दिष्ट होगी, निकासी कर सकेगा;

(vi) बंधपत्र को उक्त रोध अवधि के पश्चात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से उधार प्राप्त करने के लिए गिरवी या धारणाधिकार या आडमान के लिए भी अनुज्ञात होंगे;

(ङ) **स्थायी लेखा संख्या (पैन) देना होगा**—अभिदाता को जारीकर्ता को अपना पैन देना आवश्यक होगा;

(च) **बंधपत्र की प्राप्ति**—बंधपत्र की प्राप्ति तत्स्थानी अवशेष परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति पर प्राप्ति से जो फिक्स्ड इनकम मानी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोशिएसन ऑफ इंडिया द्वारा यथा प्रकाशित है जो बंधपत्र के जारी करने के मास से ठीक पूर्ववर्ती मास के अंतिम कार्यकारी दिवस को यथाविद्यमान हो अधिक नहीं होगी;

(छ) **आगम का अंतिम उपयोग और रिपोर्ट या मानीटरिंग क्रियाविधि** —

(i) आगम भारतीय रिजर्व बैंक 'अवसंरचनात्मक उधारदाता' जो उसके द्वारा जारी मार्गनिर्देश में परिभाषित हैं के उपयोग के लिए होगी;

(ii) जारीकर्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में अंतिम उपयोग सम्यक रूप से प्रकाशित होगा और अन्य रिपोर्ट संबद्ध विनियामक प्राधिकरण को दी जाएगी और जारीकर्ता के कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से सत्यापित होगी;

(iii) जारीकर्ता वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अवसंरचनात्मक प्रभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर उपरोक्त के साथ निबंधन पन्नें के साथ फाइल करेगा ।

[अधिसूचना सं. 48/2010/ फा. सं. 149//84/2010-काआ (टीपीएल)]

विमल आनंद, अवर सचिव